न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24 / 2025

अनवान : –

1. रियासत अली पुत्र साहबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी वार्ड सं. नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र शीबूराम जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर
2. राजेन्द्र शीबूराम जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर
3. जैसाराम पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर
4. ताराचन्द पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर
5. फरसाराम पुत्र नत्थुराम जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर
6. मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति खाती निवासी चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री संजय जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 08/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 48 / 44 के प.न. 326 / 427 मु.न. 32 के किल नं. 4 / 1 की 0.1640 हैक्टर भूमि, 7 / 1 की 0.1932 हैक्टर भूमि कुल 2 किता की 0.3572 हैक्टर भूमि एवं इसी प्रकार से रोही मौजा चक 27 एनटी. आर. तहसील नोहर के खाता सं. 158 / 48 के प.न. 326 / 427 मु.न. 32 के किला नं. 7 / 2, 13,14,17,18 की कुल 5 किता की 1.0718 हैक्टर नहरी भूमि है एवं इसी प्रकार से रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 326 / 427 मु.न. 32 के किला नं. 4 / 4 की 0. 07590 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम एवं रोही मौजा चक 27 एन. टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 85 / 78 के प.न. 326 / 426 मु.न. 17 के किला नं. 6 / 1, 6 / 2 व 15 / 1, 15 / 2 व 16 / 1, 16 / 2 व 25 / 1, 25 / 2 कुल 8 किता की 0.9110 हैक्टर नहरी, 0.1010 हैक्टर गै.मु. रास्ता एवं प.न. 326 / 427 मु.न. 32 के किला नं. 5 / 1, 5 / 2 व 6 / 1.6 / 2 व 15 / 1, 15 / 2 व 16 / 1, 16 / 2 की कुल 8 किता की 0.9110 हैक्टर नहरी भूमि एवं 0.1010 हैक्टर गै.मु. रास्ता, एवं प.न. 327 / 426 मु.न. 16 के किला नं. 9 ता 12 की कुल 4 किता की 1.0120 हैक्टर भूमि एव प.न. 327 / 427 मु.न. 33 के किला नं. 1, 2 / 2, 9 / 2, 10, 11, 12 / 2 व 20 की कुल 7 किता की 1. 4160 हैक्टर नहरी भूमि है इसी प्रकार कुल 27 किता की 4.4720 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी / अप्रार्थीगण की साझा खाता की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी भूमि है और तीनो खातो की भूमि का एक ही कम्पेक्ट बनता है अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए प्रार्थी वर्षों से मुख्य स्वीकृत शुदा रास्ता जो कि उतर–दक्षिण अप्रार्थीगण के प.न. 326/427 मु.न. के किला नं. 5/1, 6/1 व 15/1. 16/1 से होकर गुजरता है प.न. 326/427 मु.न. के कला नं. 5/2 के उतरी सीमा से होकर अपनी खातेदारी भूमि के प.न. 326/427 मु.न. के किला नं. 4 में पहुंचता है जिस रास्ता का उपयोग वादी वर्षों से निर्बाध एवं निर्विधन रूप से कर रहा है प्रार्थी वर्षो से निर्बाध एवं निर्विधन रूप से कर रहा है 4. क्रयर्थी के पास इससे गुमन एवं सुविधाजनक एवं साक्षिप्त रास्ता उपलब्ध नही है। गत कुछ माह से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कई बार उसके साधनों, ट्रेक्टर आदि व पैदल, बैल गाडी एवं ऊट गाडी के आवागमन के लिए भी रोक दिया है जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के बीच रास्ते को लेकर अक्सर विवाद रहता है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार यह भी कहा कि वह उक्त रास्ता 8–1/4 जो 1 बीघा में हे के बदले रूपये या किमत या भूमि के बदले भूतमि लेकर रास्ता स्वीकृत करवा दे लेकिन वह तैयार नहीं हो रहा है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण की जिस खातेदारी भूमि में से होकर रास्ता चालु है वह खाता सं. 85/78 के मुन. 32 के किल नं. 5/2 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम किरारे 2 रास्ता है और किला नं. 5/1 के सींव–सींव पक्क खाला भी बना हुआ है जो पूर्व से पश्चिम कायम है और इसी पक्का खाला के बीच में आम रास्ता पर किला नं. 5/1 पर चम्बेर / पुली बनी हुई है जिसमें से होकर रास्ता निकलता है और प्रार्थी उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता से अप्रार्थीगण के किला नं. 5/1 में बनी पुलि/रास्ते पर खाला का निर्मित चेम्बर से होते हुऐ अप्रार्थीगण के किला नं. 5/2 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम होते हुऐ अपनी भूमि के मु.न. 32 के किला नं. 4 में प्रवेश करते है जो संक्षिप्त सुलभ एवं सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकृत किया जाना आवश्यक है यही वाद कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर खाता सं. 85/78 के मुन. 32 के किल नं. 5/2 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की और यानि किल नं. 5/1 के स्वीकृत रास्ते से किला नं. 5/2 से वादी के मु.न. 32 के किला नं. 4 में पहुंचने के लिए एक–एक विस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार की रिपोर्ट पर ऐतराज इस आशय का पेश किया की उक्त कृषि भूमि में कोई चालु रास्ता नहीं है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के खेत मुरबा नम्बर 32 के किला नम्बर 5/1 की उत्तरी सींव पूर्व में पश्चिम कोई रास्ता नहीं रहा है तथा उक्त किले में खाला है तथा खाला हो वहां से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता ना ही किला नम्बर 5/2 के लिए उत्तरी सींव पूर्व पश्चिम होते हुए अपनी भूमि मुरब्बा नंबर 32 के किला नम्बर 4 में प्रवेश करता है तथा ना ही संक्षिप्त सुलभ व सुविधाजनक है प्रार्थी किसी प्रकार उक्त रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है राजस्व मण्डल अजमेर के नियमानुसार नही बनायी गयी है। न

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही मौका पर मौजिज मौतबिरान के हस्ताक्षकर है। प्रार्थी की भूमि के मुल खातेदार गनीखा व हकीम खान दो भाई थे जिसकी जमीन भादरा रोड में उत्तर से दक्षिण कृषि भूमि है तथा कृषि अनुसंधान राजस्थान सरकार तक कृषि भूमि वहां फॉर्म की तरफ सड़क जाती है वहां से रास्ता लेना चाहिए गनी मूल खातेदार की कमल कन्दोई है ने खरीद की है तथा हकीम खा की भूमि प्रार्थी रियासत अली खरीद की है यहां गनी खा हकीम खा की कृषि भूमि में पूर्व में रास्ता चलता है जो भादरा सड़क कृषि अनुसंधान की सड़क से होता है वहां उपयुक्त है तथा कमल कंदोई वगैरा रास्ता देने से इनकार करने के पश्चात अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता की मांग कतई उचित नहीं है तथा ना ही सुविधाजनक है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। अप्रार्थीगण नम्बर 1व 2 उत्तरदाता छोटे काश्तकार पैशा किसान है उसके खेत में मुरब्बा नंबर 32 के किला नम्बर 5/1, 6/1, 15/1,16/1 में उत्तर दक्षिण दो गाडा रास्ता पहले मौजूद है तथा किला नम्बर 5/1 में खाला व चेम्बर बने हुए हैं तथा प्रार्थी किला नम्बर 5/1 की उत्तर पूर्व से पश्चिम रास्ता की मांग कतई नियमानुसार नहीं है तथा नहीं सुविधाजनक है तथा उक्त रास्ता मंजूर होने से अप्रार्थीगण के पास के पास कृषि योग्य नही रहेगी तथा खेत टुकड़ों में बट जाएगा इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारीजी है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 27 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 48/44 के प.न. 326/427 मु.न. 32 के किल नं. 4/1 की 0.1640 हैक्टर भूमि, 7/1 की 0.1932 हैक्टर भूमि कुल 2 किता की 0.3572 हैक्टर भूमि एवं इसी प्रकार से रोही मौजा चक 27 एनटी. आर. तहसील नोहर के खाता सं. 158/48 के प.न. 326/427 मु.न. 32 के किला नं. 7/2, 13,14,17,18 की कुल 5 किता की 1.0718 हैक्टर नहरी भूमि है एवं इसी प्रकार से रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 326/427 मु.न. 32 के किला नं. 4/4 की 0. 07590 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम एवं रोही मौजा चक 27 एन. टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 85/78 के प.न. 326/426 मु.न. 17 के किला नं. 6/1, 6/2 व 15/1, 15/2 व 16/1, 16/2 व 25/1, 25/2 कुल 8 किता की 0.9110 हैक्टर नहरी, 0.1010 हैक्टर गै.मु. रास्ता एवं प.न. 326/427 मु.न. 32 के किला नं. 5/1, 5/2 व 6/1.6/2 व 15/1, 15/2 व 16/1, 16/2 की कुल 8 किता की 0.9110 हैक्टर नहरी भूमि एवं 0.1010 हैक्टर गै.मु. रास्ता, एवं प.न. 327/426 मु.न. 16 के किला नं. 9 ता 12 की कुल 4 किता की 1.0120 हैक्टर भूमि एव प.न. 327/427 मु.न. 33 के किला नं. 1, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/2 व 20 की कुल 7 किता की 1. 4160 हैक्टर नहरी भूमि है इसी प्रकार कुल 27 किता की 4.4720 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी / अप्रार्थीगण की साझा खाता की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर खाता सं. 85/78 के मुन. 32 के किल नं. 5/2 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की और यानि किल नं. 5/1 के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकृत रास्ते से किला नं. 5/2 से वादी के मु.न. 32 के किला नं. 4 में पहुंचने के लिए एक–एक विस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त कृषि भूमि में कोई चालु रास्ता नहीं है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के खेत मुरबा नम्बर 32 के किला नम्बर 5/1 की उत्तरी सींव पूर्व में पश्चिम कोई रास्ता नहीं रहा है तथा उक्त किले में खाला है तथा खाला हो वहां से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता ना ही किला नम्बर 5/2 के लिए उत्तरी सींव पूर्व पश्चिम होते हुए अपनी भूमि मुरब्बा नंबर 32 के किला नम्बर 4 में प्रवेश करता है तथा ना ही संक्षिप्त सुलभ व सुविधाजनक है प्रार्थी किसी प्रकार उक्त रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है राजस्व मण्डल अजमेर के नियमानुसार नही बनायी गयी है। न ही मौका पर मौजिज मौतबिरान के हस्ताक्षकर है। प्रार्थी की भूमि के मुल खातेदार गनीखा व हकीम खान दो भाई थे जिसकी जमीन भादरा रोड में उत्तर से दक्षिण कृषि भूमि है तथा कृषि अनुसंधान राजस्थान सरकार तक कृषि भूमि वहां फॉर्म की तरफ सड़क जाती है वहां से रास्ता लेना चाहिए गनी मूल खातेदार की कमल कन्दोई है ने खरीद की है तथा हकीम खा की भूमि प्रार्थी रियासत अली खरीद की है यहां गनी खा हकीम खा की कृषि भूमि में पूर्व में रास्ता चलता है जो भादरा सड़क कृषि अनुसंधान की सड़क से होता है वहां उपयुक्त है तथा कमल कंदोई वगैरा रास्ता देने से इनकार करने के पश्चात अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता की मांग कतई उचित नहीं है तथा ना ही सुविधाजनक है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के मुताबिक रोही मौजा 27 एनटीआर के प0न0 326/427 मु0न0 32 के किला न0 16/2 की दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता दिया जाना उचित है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से सायल के कथनों की पूष्टी करती है न की गैरसायलान के कथनों की पुष्टि होती है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी के रोही मौजा 27 एनटीआर के प0न0 326/427 मु0न0 32 के किला न0 16/2 की दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम की तरफ रास्ता सायल के लिए सुविधाजनक व निकटतम है।

पीठासीन अधिकारी स्वयं के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षक एवं मौका रिपोर्ट के मुताबिक रोही मौजा 27 एनटीआर के प0न0 326/427 मु0न0 32 के किला न0 16/2 की दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम में रास्ता सायल के लिए सुविधाजनक व निकटतम है एवं वर्तमान में प्रार्थी को अपनी खातेदारी में प्रवेश हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नही है। किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है एवं नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सूविधाजनक एव नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नही है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया मौका निरीक्षण एवं रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की कृषि भूमि रोही मौजा 27 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 326/427 मु0न0 32 के किला न0 16/2 की दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिमी में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण की चिपती हुई भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...08/06/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर